No. CDN-27011/2/2020-CDN-MCA
Government of India
Ministry of Corporate Affairs

5th Floor, 'A' Wing, Shastri Bhavan
Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110 001
Dated: 14.07 .2020

A copy of the Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of May , 2020 is enclosed for information.

(Hemant Verma)
Under Secretary to the Govt. of India
Tele: 23381349

To

All Members of the Council of Ministers

Copy, with enclosures, forwarded to:

1. Director, Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi
2. Senior PPS to Secretary, Ministry of Corporate Affairs
3. Senior PPS to Additional Secretary, Ministry of Corporate affairs
4. Dir (NIC) - To upload the communication on official website of the MCA

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

IMPORTANT POLICY DECISIONS TAKEN AND MAJOR ACHIEVEMENTS DURING THE MONTH OF MAY, 2020:

(1) **CIRCULARS**:-

(i) Through the General Circular no. 20/2020 dated 05.5.2020, the Ministry has issued clarification on holding of Annual General Meeting (AGM) through video conferencing (VC) or other audio visual means (OAVM) and also clarified the manner of issue of notices and procedure of voting in such AGMs. Due to the COVID-19 and difficulties involved in dispatching of physical copies, the said circular also dispensed with the requirement of dispatching of physical copies of the financial statements (including Board's report, Auditor's report or other documents required to be attached therewith) and required to sent such statements only by email to the members, trustees for the debenture-holders of any debentures issued by the company, and to all other persons so entitled.

(ii) Through the General Circular no. 21/2020 dated 11.5.2020, the Ministry has clarified that for right issues opening upto 31st July, 2020, in case of listed companies, which comply with the SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/78 dated 6th May, 2020, inability to dispatch the notice referred to in section 62(1)(a)(i) of the Companies Act read with section 62(2) of the act for right issue by listed companies to their shareholders through registered post or speed post or courier would not be viewed as violation of section 62(2) of the Act.

(2) **AMENDMENT TO THE COMPANIES ACT, 2013**:- The Ministry is considering, subject to due approvals, promulgation of an Ordinance (Companies (Amendment) Ordinance, 2020) for implementing the amendments proposed through the Companies (Amendment) Bill, 2020. A Cabinet Note in this regard has been forwarded to the Cabinet Secretariat on 27th April, 2020 for obtaining approval of the Cabinet. Subsequently, a Supplementary Cabinet Note has been sent on 19th May, 2020.

(3) The Commission received five (05) cases under Section 19 (Anti-trusts) and four (04) notices under Section 6 (Combinations) of the Act during May, 2020. A total of 152 cases under Section 19 and 08 cases under Section 6 are pending for disposal at the end of May, 2020.

(4) CCI took up five Model Concession Agreements (MCAs) in various infrastructure and public service delivery sector referred by NITI Aayog for competition assessment to assist the concessionary agency in embedding competition law principles in these MCAs, thus, pre-empting competition intervention later.

(5) The Commission is in the process of amending Combination Regulations which would allow the parties flexibility in determining non-compete restrictions, while also reducing the information burden on them. Public comments have been invited for the same.

(6) The Ministry amended Schedule VII of the Companies Act, 2013 vide notification in the Gazette through notification no. G.S.R. 313(E) dated 26th May, 2020. In Schedule VII, item (viii) after the words "Prime Minister's National Relief Fund", the words "or Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund (PM CARES Fund)" have been inserted. This notification shall be deemed to have come into force on 28th March, 2020.

(7) In 2011, MCA released National Voluntary Guidelines on Social, Environmental and Economic Responsibilities of Business (NVGs). Subsequently, SEBI in 2012 mandated top listed companies based on market capitalization to disclose their performance against the NVGs using a Business Responsibility Report (BRR) format. The NVGs were updated to reflect the global and national developments and released as the National Guidelines for Responsible Business Conducts (NGRBCs) in 2019. Accordingly, the Ministry constituted a Committee on BRR in 2019 to prepare new BRR formats for listed and unlisted companies taking into account NGRBCs. The Committee submitted its Report in May 2020 and recommended a new reporting framework in the form of Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR). The new reporting formats are based on the NGRBCs and incorporate the prevalent global practices in non-financial sustainability reporting in the Indian context.

सं. सीडीएन-27011/2/2020-सीडीएन-एमसीए

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

5वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन,

डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001

तारीख: 14.07.2020

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के मई , 2020 माह के मासिक सार की प्रति सूचना हेतु संलग्न है।

ह/-

(हेमंत वर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23381349

सेवा में,

मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य

प्रतिलिपि, संलग्नक सहित, निम्नलिखित को प्रेषित-

1. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
2. सचिव के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय
3. अपर सचिव के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय
4. निदेशक (एनआईसी) -पत्र को एमसीए की शासकीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

माह मई, 2020 के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय और बड़ी उपलब्धियां

(1) परिपत्रः-

(i) दिनांक 05.05.2020 के परिपत्र संख्या 20/2020 द्वारा मंत्रालय ने वीडियो कोनफ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमों से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किए है तथा ऐसी वार्षिक आम बैठकों (एजीएम) के लिए नोटिस जारी करने तरीके और उनमें मतदान करने की प्रक्रिया को स्पष्ट किया। कोविड-19 के कारण और दस्तावेजी रूप में प्रतियों को प्रेषित करने में होने वाली कठिनाई को देखते हुए उक्त परिपत्र में वित्तीय विवरणों (बोर्ड की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट या उनके साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक अन्य दस्तावेज) की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है और कंपनी द्वारा जारी किसी डिबेंचर धारक की ट्रस्टी, सदस्यों और इस प्रकार पात्र सभी व्यक्तियों को ई-मेल के जरिए ऐसे विवरण भेजने का प्रावधान कर दिया गया है।

(ii) दिनांक 11.05.2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 21/2020 के माध्यम से मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि दिनांक 06 मई, 2020 के सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएचजे/डीआईएलट/सीआईआर/पी/2020/78 का अनुपालन करने वाली सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में 31 जुलाई, 2020 तक खुले रहने वाले राइट इश्यूज के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 62(2) के साथ पठित इसकी धारा 62(1)(क)(i) में संदर्भित नोटिस, सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा अपने राइट इश्यू को पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर से भेज पाने की असमर्थता को कंपनी की धारा 62(2) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

(2) **कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधनः-** मंत्रालय, अनुमोदनों के अधीन कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2020 के माध्यम से प्रस्तावित संशोधनों को कार्यान्वित करने के लिए एक अध्यादेश (कंपनी (संशोधन अध्यादेश, 2020) के प्रख्यापन पर विचार कर रहा है। मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए 27 अप्रैल, 2020 को इस संबंध में एक नोट मंत्रिमंडल सचिवालय को अग्रेषित कर दिया गया है। इसके बाद 19 मई, 2020 को एक पूरक मंत्रिमंडल नोट भेजा गया है इस प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल द्वारा शीघ्र विचार किए जाने की संभावना है।

(3) आयोग को मई, 2020 के दौरान अधिनियम की धारा 19 के तहत पाँच (05) मामले (एंटी ट्रस्ट) और धारा 6 (समायोजन) के अंतर्गत चार (04) नोटिस प्राप्त हुए। मई, 2020 के अंत में धारा 19 के तहत कुल 152 मामले और धारा 6 के अंतर्गत 08 मामले लंबित है।

(4) सीसीआई ने प्रतिस्पर्धा के आँकलन के लिए नीति आयोग द्वारा संदर्भित पाँच आदर्श रियायत करार (एमसीए) विभिन्न अवसंरचना और सार्वजनिक सेवा सुपुर्दगी में किए ताकि इन एमसीए में

प्रतिस्पर्धा निधि सिद्धांतों को सुदृढ़ करने वाली रियायत देने वाली एजेंसी को सहायता देकर बाद में प्रतिस्पर्धा हस्तक्षेप का पूर्वानुमान लगाया जा सके।

(5) आयोग, समायोजन विनियमों को संशोधित करने की प्रक्रिया में है जिससे पक्षकार गैर-प्रतिस्पर्धी प्रतिबंधों के निर्धारण में लचीलेपन के संबंध में निर्णय ले सकेंगे। साथ ही उन पर सूचना का भार कम होगा। इसके लिए आम जनता से टिप्पणियां मांगी गई हैं।

(6) मंत्रालय ने दिनांक 26 मई, 2020 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 313(अ0 द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII में संशोधन किया। अनुसूची-VII में मद संख्या (VIII) "प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष" के बाद आपातकालीन परिस्थितियों में "प्रधानमंत्री जी नागरिक सहायता और राहत (पीएम केयर फंड)" प्रतिस्थापित किया जाएगा। इस अधिसूचना को 28 मार्च, 2020 से प्रवृत्त हुआ माना जाएगा।

(7) वर्ष 2011 में कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने व्यापार की सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक जिम्मादारियों के संबंध में राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशा-निर्देश (एनवीजी) जारी किए। इसके उपरांत वर्ष 2012 में सेबी ने पूंजीकरण के आधार पर शीर्षस्थ सूची वाली कंपनियों को व्यापारिक दायित्व रिपोर्ट (बीआरआर) प्रपत्र का इस्तेमाल कर एनवीजी की तुलना में अपने निष्पादन को प्रकटित करने का अधिदेश दिया। वैश्विक और राष्ट्रीय घटनाक्रमों को प्रतिबिंबित करने के लिए एनवीजी को अद्यतन बनाया गया और वर्ष 2019 में जिम्मेदार व्यापारिक आचरण (एनपीआरबीसी) के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश के रूप में जारी किया गया। तद्नुसार, मंत्रालय ने एनजीआरबीसी को ध्यान में रखकर सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के लिए नया बीआरआर तैयार करने के लिए वर्ष 2019 में बी आरआर के संबंध में एक समिति का गठन किया इस समिति ने मई, 2020 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और व्यापारिक दायित्व की स्थिरता (बीआरएसआर) के रूप में एक नए रिपोर्टिंग प्रपत्र एनजीआरबीसी पर आधारित हैं और इनमें भारतीय संदर्भ के लिए गैर-वित्तीय स्थिरता में प्रचलित वैश्विक परिपाटियों को शामिल किया गया है।